न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।
(पीठासीन अधिकारी – श्री राजेन्द्र सिंह चारण, R.A.S.)

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 67/2018 (जीसीएमएस संख्याः–2018/00103)
सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर। प्रार्थी,

बनाम

1. विवेक अग्रवाल पुत्र गोरधन अग्रवाल, निवासी–243, पुरोहित जी का कटला, जौहरी बाजार, जयपुर।
2. रामस्वरूप पुत्र नारायणलाल, जाति–खाती, निवासी–गाम प्रहलादपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर। अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थिति :–
1. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक।
2. श्री हेमन्त सोगानी, अभिभाषक, अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 11.05.2022**

तहसीलदार, चाकसू द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि मिसल हकीयत 1984 में ग्राम चाकसू की आराजी ख0नं0 4844 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा किस्म जमीन ना0का0का0 पाल आराजी ख0नं0 4845 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा किस्म जमीन ना0का0का0 तालाब कुल किता 02 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा दर्ज थी। जो मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 में नये ख0नं0 5017 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा गै0मु0 पाल व ख0नं0 5018 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा माफी जमनालाल वल्द रामकंवार वगैराह की खातेदारी में दर्ज थी। इन खसरा नम्बरान की किस्म परिवर्तन तत्समय भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई थी। सम्वत् 2023 में ग्राम चाकसू का एकीकरण हुआ जिसके फलस्वरूप वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर परिवर्तित होकर खसरा नम्बर 1432 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा गैर–मुमकीन पाल व ख0नं0 1433 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा गैर–मुमकीन बाडा दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, जलाशयों की भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। जबकि मिसल हकीयत 1984 में दर्ज आराजी के हाल खसरा नम्बर 8157 रकबा 0.01 हे0, ख0नं0 8158 रकबा 1.03 हे0, ख0नं0 8159 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 8161 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 8162 रकबा 0.45 हे0, ख0नं0 8167 रकबा 0.35 हे0, 8150/11972 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 7 रकबा 2.00 हे0 विवेक अग्रवाल पुत्र

न्यायालय अति. कलक्टर जयपुर

गोरधन अग्रवाल हि0 1/2 एवं रामस्वरूप पुत्र नारायणलाल हि0 1/2 के नाम दर्ज है। अतः डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 की पालना में वादग्रस्त आराजी को राजकीय गैर मुमकीन पाल/गैर मुमकीन तालाब दर्ज करने के आदेश फरमावें।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक हाजिर आये और दिनांक 15.03.2021 को जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत का कथन है कि ग्राम चाकसू की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 4844 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा किस्म जमीन ना0का0का0 पाल आराजी ख0नं0 4845 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा किस्म जमीन ना0का0का0 तालाब कुल किता 02 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा मिसल हकीयत 1984 में दर्ज थी, जो मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2004-2023 में नये ख0नं0 5017 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा गै0मु0 पाल व ख0नं0 5018 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा माफी जमनालाल वल्द रामकंवार वगैराह की खातेदारी में दर्ज हुई। इन खसरा नम्बरान की किस्म परिवर्तन तत्समय भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई थी। सम्वत् 2023 में ग्राम चाकसू का एकीकरण हुआ जिसके फलस्वरूप वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर परिवर्तित होकर खसरा नम्बर 1432 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा गैर-मुमकीन पाल व ख0नं0 1433 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा गैर-मुमकीन बाडा दर्ज हुऐ। राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर-मुमकीन पाल/बाडा भूमि निजी खातेदारी में दर्ज हैं जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और राजस्व अभिलेखों में दर्ज ऐसे अवैध इन्द्राज प्रांरभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

न्यायालय अति. कलक्टर (...) जयपुर

अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक श्री हेमन्त सोगानी का कथन है कि कस्बा चाकसू (पश्चिम), तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर, स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 5017 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा एवं आराजी खसरा नम्बर 5018 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा श्री जमुनालाल पुत्र रामकुंवार व अन्य की माफी जागीर की भूमि थी, सम्वत् 2004 से 2023 की खतौनी बन्दोबस्त् में बतौर खातेदार उनका नाम दर्ज था। यह भूमि वास्तव में गैर मुमकिन पाल की भूमि कभी नहीं रही। भूमि विवादग्रस्त कृषि भूमि होकर काबिले काश्त भूमि हैं जिस पर हमेशा से कृषि कार्य किया जाता रहा है। भूमि विवादग्रस्त कभी सिंचाई के कार्य नहीं आई और भूमि विवादग्रस्त का उपयोग कभी मवेशियों को पानी पिलाने हेतु नहीं किया गया। जागीरदार ने उक्त भूमि काश्तकारों को काश्त हेतु बताई जिस पर वे निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते रहे। राजस्व भूमि अभिलेखों में उक्त भूमि खातेदारी में दर्ज रही। यह कतई गलत है कि भूमि विवादग्रस्त की किस्म गै0मु0 पाल/गै0मु0बाडा होने से खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते हो। वादग्रस्त आराजी तो बजमाने भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 से खातेदारी की चली आ रही है। कस्बा चाकसू में एकीकरण की कार्यवाही सम्वत् 2023 में हुई जिसमें नये नम्बर 1432 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 1443 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा बने और कृषि भूमि के रूप में ही रही। हाल बन्दोबस्त में इनके नये नम्बर बनाये गये और बन्दोबस्त विभाग ने नियमानुसार मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार इन्द्राज दर्ज किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल रिट याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 02.08.2004 को जो निर्णय पारित किया है, उसमें ऐसे कोई निर्देश पारित नहीं किये कि नियमित रूप से कृषि कार्यो में ली जा रही खातेदारी की कृषि भूमि को राजकीय भूमि अंकित कर दिया जावे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 02.08.2004 में मात्र राजस्थान राज्य को विभिन्न प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही करने मात्र के निर्देश दिये परन्तु उनमें से किसी का भी आशय यह नहीं था कि किसी नियमित रूप से कृषि प्रयोजनार्थ काम में आ रही कृषि भूमि को राजकीय भूमि अंकित कर दिया जावे अथवा उससे किसी खातेदार के खातेदारी अधिकारों को निरस्त कर दिया जावे। विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई संपरिवर्तन आदेश पारित ही नही कराया गया जिसे निरस्त किये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता हैं। विवादग्रस्त आराजी कृषि भूमि थी और निरन्तर कृषि प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा रही हैं ऐसी स्थिति में 50 वर्षो से भी अधिक अवधि से विवादग्रस्त भूमि कृषि भूमि हैं और कृषि प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा रही हैं। रेफरेन्स की जहां समयावधि निर्धारित नहीं दी हो वहां रेफरेन्स की कार्यवाही एक पर्याप्त समयावधि में ही की जा सकती हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1056 की धारा 82 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय

अथवा अधिकारियों द्वारा पारित किये गये आदेशों के विरूद्ध रेफरेन्स प्रस्तुत करने का क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया हैं। राजस्व भू–अभिलेखों में हो रहे इन्द्राजात के संबध में तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहायक भू–अभिलेख अधिकारी होते हैं और भू–प्रबन्ध अधिकारी आदि धारा 24(7) निदेशक, भू–अभिलेख के अधीनस्थ अधिकारी होते हैं। जहां तक जिला कलेक्टर का प्रश्न हैं, धारा 24 (2) के अन्तर्गत तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि जो कि न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं, जिला कलेक्टर के अधीनस्थ होते हैं। अतः राजस्व भू–अभिलेखों में हो रहे अंकन के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये रेफरेन्स की सुनवाई का क्षेत्राधिकार धारा 82 के अन्तर्गत मात्र निदेशक, भू–अभिलेख को ही दिया गया हैं। विचारण प्रकरण में ऐसे कोई आदेश का विवरण अंकित नहीं किया गया हैं जिसे निरस्त कराये जाने की आवश्यकता जाहिर की गई हो। ऐसी स्थिति में जब कोई आदेश को निरस्त कराने हेतु ही इस्तदुआ नहीं की गई हैं तो रेफरेन्स चलने योग्य नहीं हैं। वर्तमान जमाबन्दी में कहीं नदी, नाला, तालाब दर्ज नहीं है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 में वादग्रस्त आराजी जमनालाल वगैराह की खातेदारी में दर्ज है जिसकी किस्म गैर–मुमकीन पाल/गैर–मुमकीन बाड़ा अंकित है। खतौनी एकीकरण में भी गैर–मुमकिन पाल तथा गैर–मुमकिन बाड़ा अंकित है। अब्दुल रहमान प्रकरण में गैर–मुमकिन नदी की भूमि में अनाधिकृत कब्जा कर बिल्डिंग का निर्माण कर नदी के बहाव को रोक दिया गया था और ऐसी स्थिति में बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण को हटाकर जो स्कूल बिल्डिंग का निर्माण कर लिया गया था उसे हटाये जाने का प्रकरण विचाराधीन था। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हैं कि अब्दुल रहमान प्रकरण में किसी कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने से सम्बन्धित कोई प्रकरण विचाराधीन ही नहीं था। इसीलिए जो एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई उसमें कृषि विभाग अथवा राजस्व विभाग का कोई एक्सपर्ट नहीं था। एक्सपर्ट कमेटी ने जो अभिशंषा की उसके आधार पर ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पैरा सं0 4 में टिप्पणी अंकित की हैं कि In the government owned lakes and other bodies, the Khatedari rights of private persons in their submergence area should be brought under the ownership of the government. इस अभिशंषा का अर्थ यह कदापि नहीं है कि नदी–नालों, तालाब आदि की भूमि पर निजी व्यक्ति के खातेदारी अधिकारों को समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई निर्देश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये हो क्योंकि उक्त निर्णय में मात्र यही निर्देश दिये गये है कि उक्त कृषि भूमियों का भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार का होना आवश्यक माना गया हैं। वस्तुस्थिति यह है कि जो स्थिति दिनांक 15.08.1947 को नहीं थी वह कालान्तर में उन्नत कर अब सभी प्रकार की इन्टरमिजरिज को समाप्त कर दिया गया और अब सभी कृषि भूमियों की भूमि अधिकारी मात्र राजस्थान राज्य सरकार ही होती हैं ऐसी स्थिति में उक्त टिप्पणी का

यह अर्थ किसी भी अवस्था में नहीं निकाला जा सकता कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने ऐसी कोई व्यवस्था दे दी हो कि निजी व्यक्तियों के खातेदारी अधिकारों को समाप्त कर उक्त भूमियों को सिवायचक दर्ज कर दिया जावे, क्योंकि यदि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की ऐसी कोई भावना होती तो उक्त संदर्भ में स्पष्ट निर्देश दिये जाते, Ownership की बात अंकित नहीं की जाती और यह तथ्य पैरा संख्या 5 में की गई टिप्पणी से कि नदी–नालों आदि के बहाव क्षेत्र में जहां निर्माण आदि कर लिये गये है उनके सन्दर्भ में मात्र यह टिप्पणी की गई हैं कि ऐसे निर्माण कार्यो को हटाने की कार्यवाही कर दी जावे परन्तु उसके सन्दर्भ में ऐसा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया कि ऐसी भूमियों को कृषि कार्य से भी हमेशा–हमेशा के लिए वंचित कर दिया जावे। पत्रावली पर ऐसे कोई साक्ष्य नहीं हैं जिसके आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी को नदी–नालें अथवा तालाब की भूमि होना माना जा सके। सम्वत् 2004–2023 की जमाबन्दी में भूमि खसरा नम्बर 5017 गैर–मुमकीन पाल व भूमि खसरा नम्बर 5018 गैर मुमकिन बाड़ा के रूप में अंकित हैं। आरआरडी 2012(1) पेज 94 में स्पष्ट व्यवस्था दी गई हैं कि जहां वर्तमान में भूमि का उपयोग नदी–नाले, तालाब आदि के रूप में नहीं हो रहा हो उसे अब्दुल रहमान के केस के आधार पर मात्र इसलिये निर्णित नहीं किया जा सकता है कि किसी समय उक्त भूमि नदी–नाले आदि के नाम से दर्ज रही हैं। यद्यपि पत्रावली पर ऐसे कोई साक्ष्य नहीं हैं जिससे जाहिर हो कि वादग्रस्त आराजी गैर–मुमकिन नदी, नाले, तालाब आदि की होना मानी जा सकती हो अन्यथा भी दिनांक 15.08.1947 से पूर्व ही वादग्रस्त आराजी निजी खातेदारी की दर्ज होकर वादग्रस्त आराजी की किस्म जमीन गैर–मुमकीन पाल/गैर–मुमकीन बाडा दर्ज है। इस प्रकार अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में यदि ऐसे कोई निर्देश भी दिये गये है तो वादग्रस्त आराजी दिनांक 15.08.1947 से पूर्व ही निजी खातेदारी की भूमि रही है और राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित नहीं है तो ऐसी स्थिति में अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये तथाकथित निर्देशों के लागू होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इसके अलावा भी स्थिति यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(2) में सभी प्रकार के नदी, तालाब आदि की भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त ना हो सकने के कोई प्रावधान नहीं हैं मात्र यह ही व्यवस्था दी गई हैं कि जो भूमि यदा–कदा काश्त की भूमि हो और नियमित रूप से काश्त की भूमि नहीं हो उसमें ही खातेदारी अधिकार प्राप्त ना हो सकने के प्रावधान रखे गये हैं। प्रार्थी ने स्वयं ने ही यह स्वीकार किया हैं कि साबिका खसरा नम्बर 5017 व 5018 के भूमि एकीकरण में नवीन खसरा नम्बर 1432 व 1433 बने। जब भूमि एकीकरण की प्रक्रिया में उक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर कायम किये गये तब यदि राजस्थान राज्य

सरकार को उक्त सन्दर्भ में कोई आपत्ति थी तो उन्हें राजस्थान होल्डिंग्स (कन्सोलीडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रिगमेंटशन एक्ट) 1954 की धारा 21 (5) के तहत अपील प्रस्तुत करना आवश्यक था और यदि कोई अपील प्रस्तुत ना की जावे और यह निर्णय अन्तिम हो जावे तो 1954 के उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे आदेश अन्तिम हो जाते हैं जिसे किसी अन्य न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती और ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के विरूद्ध कोई रेफरेन्स भी प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि के संबंध में ही माननीय न्यायालय के समक्ष "आम जनता चाकसू" की ओर से एक रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.05.2016 को राजस्थान राज्य सरकार को जरिये तहसीलदार चाकसू अप्रार्थी संख्या 1 तथा मौजूदा उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बनाते हुये प्रस्तुत किया गया, जिस रेफरेन्स उनवानी आम जनता चाकसू बनाम सरकार को माननीय न्यायालय ने रेफरेन्स प्रकरण संख्या 376/2016 (302/2016) के रूप में दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये जिसका उत्तरदाता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया और माननीय न्यायालय ने राजस्थान राज्य सरकार को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर दिनांक 30.06.2017 के अपने निर्णय द्वारा उक्त रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र को निरस्त फरमा दिया जिसके विरूद्ध राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अग्रिम कार्यवाही अपील निगरानी इत्यादि नहीं की गयी है। राजस्थान राज्य सरकार के विरूद्ध उक्त निर्णय अंतिम हो जाने के पश्चात् अब सरकार ने पूर्व निर्णय दिनांक 30.06.2017 को छुपाते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना–पत्र गलत व आधारहीन तथ्य अंकित करते हुये प्रस्तुत किया है जो निरस्तनीय है। भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में दिनांक 30.06.2017 को पारित उक्त निर्णय अंतिम हो जाने के पश्चात् पुनः उसी भूमि विवादग्रस्त के संबंध में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्तों से बाधित होने के कारण निरस्तनीय है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र ड्रोप फरमाया जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर विनम्रतापूर्वक गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत का कथन है कि ग्राम चाकसू की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 4844 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा किस्म जमीन ना0का0का0 पाल आराजी ख0नं0 4845 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा किस्म जमीन ना0का0का0 तालाब कुल किता 02 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा मिसल हकीयत 1984 में दर्ज थी, जो मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 में नये ख0नं0 5017 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा गै0मु0 पाल व ख0नं0 5018 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा माफी जमनालाल वल्द रामकंवार वगैराह की खातेदारी में दर्ज हुई। इन खसरा नम्बरान की किस्म परिवर्तन तत्समय भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई थी। सम्वत् 2023 में ग्राम

चाकसू का एकीकरण हुआ जिसके फलस्वरूप वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर परिवर्तित होकर खसरा नम्बर 1432 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा गैर–मुमकीन पाल व ख0नं0 1433 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा गैर–मुमकीन बाडा दर्ज हुऐ,इस प्रकार प्रार्थी पक्ष ने स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि सम्वत् 2004–2023 में वादग्रस्त आराजी गैर–मुमकीन पाल व गैर मुमकीन बाडा दर्ज रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी 15.08.1947 की स्थिति बहाल के निर्देश दिये गये है। वादग्रस्त आराजी की किस्म इस प्रकार की नहीं मानी जा सकती कि जो कभी–कभी ही काश्त हेतु उपयोग में ली जाती हो अर्थात नदी, नाला, जलाशय की आराजी नहीं है। प्रार्थी द्वारा जो नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 प्रस्तुत की गई हैं में, वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 5017 रकबा 3 बीधा 4 बिस्वा गैर–मुमकिन पाल एवं खसरा नं0 5018 रकबा 11 बीधा 11 बिस्वा गैर–मुमकिन बाड़ा दर्ज हैं और भूमि की किस्म स्वीकार किये जाने के लिए पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य हैं। अब्दुल रहमान प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.08.1947 की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिये गये हैं जिसके लिए यह जमाबन्दी नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 एक पर्याप्त एवं विधिक दस्तावेज हैं। ऐसी स्थिति में हमारा मत है कि प्रार्थी पक्षकार को जो भी दादरसी वांछित है वह सम्वत् 2004 के दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है किन्तु प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी का ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2004 में गैर–मुमकीन नाडा, तालाब, नदी अथवा जलाशय की दर्ज रही हो बल्कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 से यह स्पष्ट सिद्ध है कि वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2004–2023 में गैर–मुमकीन पाल/गैर–मुमकीन बाड़ा दर्ज है, इसके पश्चात् खतोनी एकीकरण सम्वत् 2023 में भी वादग्रस्त आराजी की किस्म जमीन गैर–मुमकीन पाल व गैर–मुमकीन बाड़ा दर्ज है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2004 में गैर–मुमकीन नाडा, नदी, जलाशय की दर्ज रही हो। सम्वत् 2023 के एकीकरण में आराजी की किस्म गैर–मुमकीन बाड़ा दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 के आधार पर दिनांक 15.08.1947 की स्थिति का इसी नकल दस्तावेज के आधार पर निर्णय लिया जाना होगा जिससे दिनांक 15.08.1947 को गैर–मुमकीन पाल/बाड़ा दर्ज होने से प्रार्थी के इस कथन पर कि वादग्रस्त आराजी मिसल हकीयत 1984 में नाकाबिल काश्त पाल/नाकाबिल काश्त तालाब दर्ज थी जो अब्दुल रहमान प्रकरण की परिधि में आता है, विचार किये जाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में पारित

निर्णय दिनांक 4.08.2004 का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 4.08.2004 के बिन्दु संख्या 15(1) में दिनांक 15.08.1947 को जो भूमियां नदी, नाले, उपनदी, झील एवं जलाशयों इत्यादि के रूप में दर्शायी गई हो, उनको सरकारी भूमि घोषित किये जाने एवं दि0 15.08.1947 के पश्चात् उक्त भूमियों के संबंध में किये गऐ संपरिवर्तनों को अवैध (नियम विरूद्ध) घोषित किये जाने एवं संबंधित अधिनियमों एवं नियमों में भी इसी अनुरूप संशोधन किये जाने के आदेश दिये गए है। पत्रावली में उपलब्ध नकल मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 एवं नकल खतौनी एकीकरण सम्वत् 2023 में विवादग्रस्त आराजी की किस्म जमीन गैर–मुमकीन पाल एवं गैर–मुमकिन बाड़ा दर्ज हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि अब्दुल रहमान प्रकरण में दिनांक 15.08.1947 की स्थिति को बहाल करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश की स्थिति बहाल करने के लिए कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि विवादग्रस्त आराजी दिनांक 15.08.1947 को नदी, नाले, उपनदी, झील एवं जलाशयों के रूप में दर्शाई नहीं गई है। उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित होता है कि विवादग्रस्त आराजी दिनांक 15.08.1947 को गैर–मुमकीन पाल एवं गैर–मुमकिन बाड़ा राजस्व अभिलेख में दर्ज होने से जनहित याचिका अब्दुल रहमान बनाम सरकार की परिधि में नहीं आती है। इस प्रकार उभय–पक्षों के कथन व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हम यह पाते है कि विवादग्रस्त आराजी दि0 15.08.1947 को गैर–मुमकीन नदी, नाला, उपनदी, झील एवं जलाशय इत्यादि के रूप में दर्ज राजस्व अभिलेख नहीं थी, परिणामतः जनहित याचिका अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह प्रकरण के आदेश के तथ्य लागू किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह सिद्ध नही है कि विवादग्रस्त आराजी की खातेदारी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 अथवा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अन्तर्गत दी गई है। जब राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी/आवंटन/नियमन नही किया गया है तो ऐसे में इन अधिनियमों के प्रावधानो का उल्लंघन न होने की दशा में विवादग्रस्त आराजी की खातेदारी को निरस्त किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। अतः उक्त विवचेनानुसार वर्णित तथ्यों, राजस्व अभिलेखों की स्थिति एवं प्रकरण की परिस्थितियों के मध्य नजर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 11.05.2022 को सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चारण)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर